

भारत के उच्चतम न्यायालय में
नागरिक अपीलीय अधिकार-क्षेत्र

दीवानी अपील संख्या 5051/2023

रेखा शर्मा ...

अपीलकर्ता

बनाम

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं अन्य ...

प्रतिवादीगण

साथ में

दीवानी अपील संख्या 5052/2023

रतनलाल ...

अपीलकर्ता

बनाम

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं अन्य ...

प्रतिवादीगण

हेडनोट्स

रेखा शर्मा एवं रतनलाल बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (**PwBDs**) के लिए आरक्षण समग्र क्षैतिज आरक्षण (**Overall Horizontal Reservation**) है, जो संविधान के अनुच्छेद 16(1) के अंतर्गत आता है, न कि ऊर्ध्वाधर आरक्षण के अंतर्गत। अतः भर्ती प्राधिकरण के लिए उनके लिए पृथक रूप से कट-ऑफ अंक घोषित करना अनिवार्य नहीं है। अपीलकर्ताओं ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया और प्रारंभिक परीक्षा में असफल होने के पश्चात उसकी वैधता को चुनौती नहीं दे सकते। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि विधवा/तलाकशुदा महिलाओं जैसे खंडित क्षैतिज

आरक्षण हेतु ही कट-ऑफ अंक निर्धारित किए गए, जो कि विधिसम्मत है और यह अनुच्छेद 14, 16 या 21 का उल्लंघन नहीं है। चूंकि चयन प्रक्रिया में कोई विधिक त्रुटि या असंवैधानिकता नहीं पाई गई, इसलिए दोनों अपीलें निरस्त कर दी गईं।

निर्णय

बेला एम. त्रिवेदी, न्यायाधीश

1. दोनों अपीलों में कानून और तथ्यों के सामान्य प्रश्न उपस्थित हैं, अतः उन्हें एक साथ सुना गया और इस साझा निर्णय द्वारा निस्तारित किया जा रहा है।
2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रतिवादी उच्च न्यायालय ने सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट के सिविल न्यायाधीश संवर्ग के अंतर्गत 120 पदों पर सीधी भर्ती हेतु एक विज्ञापन जारी किया था। अपीलकर्ता रेखा शर्मा, जिनको उनकी आँखों से संबंधित 40% स्थायी दिव्यांगता है, ने उक्त पद के लिए आवेदन किया था। अपीलकर्ता रतनलाल, जिनको उनके दाहिने ऊपरी अंग में 55% स्थायी शरीरिक दिव्यांगता है, ने भी उक्त पद के लिए आवेदन किया था। दोनों ने प्रारंभिक परीक्षा में भाग लिया परंतु “असफल” घोषित किए गए। दिनांक 11.01.2022 को घोषित परिणाम में विज्ञापन में उल्लिखित प्रत्येक वर्ग हेतु कट-ऑफ अंक दर्शाए गए थे, परंतु “मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों” की श्रेणी हेतु कट-ऑफ अंक नहीं दर्शाए गए।
3. उक्त परिणाम से आहत होकर, अपीलकर्ता रतनलाल (नागरिक अपील संख्या 5052/2023) ने डिवीजन बेंच सिविल रिट याचिका संख्या 1436/2022 दायर की, जिसे उच्च न्यायालय ने 02.03.2022 को पारित निर्णय एवं आदेश द्वारा खारिज कर दिया। अपीलकर्ता रेखा शर्मा (नागरिक अपील संख्या 5051/2023) ने भी डिवीजन बेंच सिविल रिट याचिका संख्या 1868/2022 दायर की, जिसे उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 1436/2022 में पारित निर्णय दिनांक 02.03.2022 पर निर्भर करते हुए, दिनांक 06.04.2022 को खारिज कर दिया।
4. दोनों अपीलों में अपीलकर्ताओं के अधिवक्ताओं द्वारा प्रमुख विवाद यह उठाया गया है कि जब प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए, तब विज्ञापन में उल्लिखित प्रत्येक श्रेणी हेतु कट-ऑफ अंक दर्शाए गए थे, किंतु “मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों” की श्रेणी हेतु कट-ऑफ अंक नहीं दिखाए गए। उनके अनुसार, यह कार्यवाही भेदभावपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 14, 16 एवं 21 में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, साथ ही यह राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 तथा राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 का भी उल्लंघन है।
5. प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती पिकी आनंद का कहना है कि अपीलकर्ता रेखा शर्मा ने EWS श्रेणी में 57 अंक प्राप्त किए, जबकि उस श्रेणी में कट-ऑफ अंक 69 थे, और अपीलकर्ता रतनलाल ने OBC-NCL श्रेणी में 59 अंक प्राप्त किए, जबकि कट-ऑफ 67 था, इसलिए वे

मुख्य परीक्षा के लिए अर्ह नहीं पाए गए। उन्होंने यह भी बताया कि संपूर्ण चयन प्रक्रिया 30.08.2022 को पूर्ण हो चुकी है और चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 09.03.2023 को की जा चुकी है। वर्ष 2022-2024 की रिक्तियों हेतु नवीन विज्ञापन 09.04.2024 को जारी किया गया और उसकी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 15.07.2024 को घोषित किया जा चुका है।

6. प्रतिपक्षों के तर्कों पर विचार करने से पूर्व, विज्ञापन दिनांक 22.07.2021 के प्रासंगिक अनुच्छेदों का उल्लेख किया जाना उपयुक्त होगा।

"1. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर, राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 (संशोधित रूप में) के अंतर्गत, सिविल न्यायाधीश संवर्ग के अधीन परीक्षा पर सिविल न्यायाधीश तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट के 120 रिक्त पदों (वर्ष 2020 के 89 पद और वर्ष 2021 के 31 पद) पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित ऑनलाइन प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रहा है, जिनका वेतनमान ₹27700-770-₹33090-920-₹40450-1080-₹44770 है।"

2-3.....

4. रिक्तपदोंकीसंख्याएवंआरक्षण:-

कुल रिक्तियाँ	वर्ष	सामान्य	अनुसूचित जाति (SC)	अनुसूचित जनजाति (ST)	अन्य पिछड़ा वर्ग (OB C)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	अति पिछड़ा वर्ग (M BC)	मानक दिव्यांगता वाले व्यक्ति
89	2020 (दिसंबर 2020 तक)	35 (जिसमें से 10 पद महिलाओं हेतु आरक्षित हैं; इन 10 में से 2 पद विधवाओं के लिए आरक्षित)	14 (जिसमें से 04 पद महिलाओं हेतु; इन 04 में से 01 पद विधवा के लिए)	10 (जिसमें से 03 पद महिलाओं हेतु)	18 (जिसमें से 05 पद महिलाओं हेतु; इन 05 में से 01 पद विधवा के लिए)	08 (जिसमें से 02 पद महिलाओं हेतु)	04 (जिसमें से 01 पद महिला के लिए)	89 रिक्तियों में से 04 पद मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित

					लिए)			
31	202 1 (दिसं बर 202 1 तक)	14 (जिसमेंसे 04 पदमहिला ओंहेतु; इनमेंसे 01 पदविधवाके लिए)	04 (जिसमेंसे 01 पदमहिलाके लिए)	03	03	06 (जिस में से 01 पद महि ला के लिए)	01	31 रिक्तियोंमेंसे 01 पदमानकदिव्यांगतावालेव्यक्तियोंके लिएआरक्षित

*(मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों हेतु 05 आरक्षित पदों में वर्गीकरण):

05 पदों में से -01 (एक) पद दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित है, 01 (एक) पद बधिरता एवं कम सुनने वाले व्यक्तियों के लिए, 01 (एक) पद अंग विकलांगता हेतु आरक्षित है, जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग से मुक्त, बौनेपन, अम्ल आक्रमण पीड़ित, तथा पेशीय अपविकास शामिल हैं, 02 (दो) पद आत्मकेंद्रितता (Autism), बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability), विशिष्ट अधिगम अक्षमता (Specific Learning Disability), मानसिक रोग (Mental Illness) एवं बहुविकलांगता (Multiple Disabilities) से युक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित हैं — ऐसे व्यक्तियों में से जो खंड (a) से (d) के अंतर्गत आते हैं, जिसमें बधिर-दृष्टिहीनता (Deaf-Blindness) भी सम्मिलित है — और जिन पदों को प्रत्येक प्रकार की दिव्यांगता के लिए चिह्नित किया गया है।

5. विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण से संबंधित प्रावधान:

(i) विधवा अथवा तलाकशुदा महिलाओं के लिए आरक्षित पदों में आरक्षण श्रेणी-वार क्षैतिज होगा, जिसका अर्थ है कि महिला अभ्यर्थी जिस श्रेणी (जैसे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / सामान्य वर्ग) में आवेदन करती है, चयन होने पर उसे उसी श्रेणी में समायोजित किया जाएगा।

(ii) दिव्यांग व्यक्तियों हेतु आरक्षण कुल रिक्त पदों के विरुद्ध क्षैतिज होगा, जिसका तात्पर्य यह है कि दिव्यांग अभ्यर्थी को भी उसी श्रेणी में समायोजित किया जाएगा, जिसमें उसने आवेदन किया हो — चाहे वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या सामान्य वर्ग में से कोई भी हो।

(iii) यदि राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / महिलाएं (विधवा अथवा तलाकशुदा) / दिव्यांग श्रेणियों के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हों, तो उन पदों को राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 के प्रावधानों एवं परंपराओं के अनुसार भरा जाएगा।

(iv) सामान्य श्रेणी के पदों के चयन के लिए, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के समान ही अर्हता प्राप्त करनी होगी।

6-14 -----

15. परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम:

(1) सिविल न्यायाधीश के पद हेतु प्रतियोगी परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी, अर्थात् – प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक, यदि वह मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह घोषित किया गया है, तो अंतिम मेधा सूची (final merit) निर्धारित करने हेतु गणना में नहीं लिए जाएंगे।

(2) मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्तियों (श्रेणीवार) की पंद्रह गुना होगी। परंतु इस सीमा में वे सभी अभ्यर्थी भी सम्मिलित किए जाएंगे, जिन्होंने अंतिम कट-ऑफ पर समान प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।

टिप्पणी: मुख्य परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40% अंक, तथा अन्य सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45% अंक प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त करना अनिवार्य है।

(3) साक्षात्कार (interview) हेतु बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, जहाँ तक संभव हो, कुल रिक्तियों की तीन गुना (श्रेणीवार) होगी। यह शर्त होगी कि साक्षात्कार हेतु पात्र घोषित किए जाने के लिए अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के प्रत्येक विधि पत्र में न्यूनतम 35% अंक एवं कुल योग में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परंतु यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित हो, तो उसे प्रत्येक विधि पत्र में न्यूनतम 30% अंक एवं कुल योग में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करने पर भी साक्षात्कार हेतु पात्र माना जाएगा।

(4) लिखित परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र एवं साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष मौखिक परीक्षा (viva voce) में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी लिखित पत्र अथवा मौखिक परीक्षा में अनुपस्थित रहता है, तो उसे नियुक्ति हेतु अनुशंसित नहीं किया जाएगा।

(5) सिविल न्यायाधीश संवर्ग की भर्ती हेतु परीक्षा योजना निम्नलिखित होगी:

प्रारंभिक परीक्षा (Objective Type – वस्तुनिष्ठ प्रकार)

मुख्य परीक्षा (Subjective Type – वर्णनात्मक प्रकार)

साक्षात्कार (Interview) ”

7. दिनांक 11.01.2022 को जारी अधिसूचना के अनुसार, जिसमें दिनांक 28.11.2021 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया था, प्रतिवादियों ने विज्ञापन में उल्लिखित संबंधित श्रेणियों हेतु निम्नलिखित कट-ऑफ अंक दर्शाए थे:

कट-ऑफ अंक

<u>श्रेणी (Category)</u>	<u>कट-ऑफ अंक (Cut-off Marks)</u>
<u>सामान्य (General)</u>	<u>72</u>
<u>सामान्य (तलाकशुदा)</u>	<u>58</u>
<u>सामान्य (विधवा)</u>	<u>45</u>
<u>अनुसूचित जाति (SC)</u>	<u>55</u>
<u>अनुसूचित जाति (तलाकशुदा)</u>	<u>39</u>
<u>अनुसूचित जनजाति (ST)</u>	<u>53</u>
<u>अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर क्रीमी (OBC-NCL)</u>	<u>67</u>

OBC-NCL (तलाकशुदा)	63
OBC-NCL (विधवा)	46
अतिपिछड़ावर्ग-गैरक्रीमी (MBC-NCL)	46
आर्थिकरूपसे कमजोर वर्ग (EWS)	69

8. यद्यपि अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं ने जोरदार ढंग से यह तर्क प्रस्तुत किया कि जब विज्ञापन में उल्लिखित प्रत्येक श्रेणी के लिए कट-ऑफ अंक दर्शाए गए थे, तो मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (Persons with Benchmark Disabilities) की श्रेणी के लिए भी कट-ऑफ अंक दर्शाना प्रतिवादियों का दायित्व था — परंतु उक्त तर्क स्वीकार करना कठिन है। इस तथ्य से परे कि अपीलकर्ताओं ने संबंधित विज्ञापन के अंतर्गत चयन प्रक्रिया में भाग लिया और प्रारंभिक परीक्षा में असफल होने के उपरांत उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर कीं, वे यह सिद्ध करने में भी असफल रहे कि मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए कट-ऑफ अंक निर्धारित करना प्रतिवादियों के लिए अनिवार्य था। जैसा कि स्वयं विज्ञापन से स्पष्ट है, दिव्यांग व्यक्तियों के पक्ष में प्रदान किया गया आरक्षण एक समग्र क्षैतिज आरक्षण (Overall Horizontal Reservation) था, न कि खंडित क्षैतिज आरक्षण (Compartmentalised Reservation) क्योंकि विज्ञापन में उल्लिखित कुल रिक्तियों में से, केवल पाँच पद मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए गए थे।

9. यह विधिसिद्ध है कि क्षैतिज आरक्षण दो प्रकार का होता है—(i) खंडित क्षैतिज आरक्षण, और (ii) समग्र क्षैतिज आरक्षण। खंडित क्षैतिज आरक्षण वह होता है, जिसमें प्रत्येक ऊर्ध्वाधर आरक्षित श्रेणी (जैसे SC, ST, OBC आदि) के भीतर अनुपातिक रूप से आरक्षित पद निर्धारित किए जाते हैं। जबकि समग्र क्षैतिज आरक्षण की स्थिति में आरक्षण विज्ञापित कुल पदों पर लागू होता है — अर्थात् ऐसा आरक्षण प्रत्येक ऊर्ध्वाधर श्रेणी हेतु विशिष्ट नहीं होता। विज्ञापन दिनांक 22.07.2021 के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों को प्रत्येक श्रेणी (सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग) में अलग-अलग चिह्नित किया गया था। परंतु मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उक्त श्रेणियों में कोई पृथक् रिक्तियाँ उल्लेखित नहीं थीं। इसके अतिरिक्त, तीन-स्तरीय परीक्षा योजना के अंतर्गत मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों की संख्या को कुल रिक्तियों (श्रेणीवार) की पंद्रह गुना निर्धारित किया गया था, तथा प्रत्येक श्रेणी हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत अंकों को प्राप्त करना अनिवार्य था। अतः, समग्र क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाले मानक दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को, उसी श्रेणी में जिसके अंतर्गत उन्होंने आवेदन किया है, उस श्रेणी के लिए निर्धारित न्यूनतम कट-ऑफ अंक प्राप्त कर, मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करनी होती है।

10. इस तथ्य से इतर कि विज्ञापन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिसमें समग्र क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाले मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए कट-ऑफ अंक निर्धारित करने का कोई उल्लेख हो, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता यह भी इंगित करने में असफल रहे कि राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 (जिसके

अंतर्गत यह भर्ती प्रक्रिया संचालित की गई थी) में ऐसा कोई प्रावधान है जो मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए कट-ऑफ अंक निर्धारित करना अनिवार्य करता हो। अपीलकर्ताओं द्वारा दिनांक 14.10.2021 की राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पर जो भरोसा किया गया, वह भी उनके पक्ष में सहायक नहीं है, क्योंकि उक्त अधिसूचना को प्रभावी किया गया दिनांक 16.04.2024 की अधिसूचना द्वारा, जिसने राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 में संशोधन करते हुए मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए आयु में छूट तथा अंकों में 5% की रियायत प्रदान की है। उक्त अधिसूचनाओं अथवा नियमों में किए गए किसी भी संशोधन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो कि प्रतिवादियों के लिए मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों हेतु अलग से कट-ऑफ अंक घोषित करना अनिवार्य हो।

11. इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 एक सामाजिक विधायी अधिनियम है, जिसे दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु अधिनियमित किया गया है, और इसके उपबंधों की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए जिससे अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हो — ताकि दिव्यांगजन भी अन्य व्यक्तियों के समान समानता का अधिकार, गरिमा के साथ जीवन तथा अपनी व्यक्तिगत अखंडता के सम्मान का अधिकार प्राप्त कर सकें, जैसा कि अधिनियम में कल्पित है। किन्तु, न तो उक्त 2016 के अधिनियम में और न ही राजस्थान राज्य द्वारा अधिनियमित 2018 के नियमों में ऐसा कोई उपबंध है, जिसका उल्लंघन प्रतिवादियों द्वारा इस आधार पर किया गया हो कि उन्होंने मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए कट-ऑफ अंक निर्धारित नहीं किए।

12. यह निर्विवाद है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण को क्षैतिज आरक्षण के रूप में माना गया है, अर्थात् यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 की उपधारा (1) के अंतर्गत आता है, न कि ऊर्ध्वाधर आरक्षण के रूप में, जो कि अनुच्छेद 16 की उपधारा (4) के अंतर्गत आता है। **इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य¹** के मामले में, “ऊर्ध्वाधर आरक्षण” एवं “क्षैतिज आरक्षण” की अवधारणाओं को सप्रसंग रूप से स्पष्ट किया गया है।

इस निर्णय का प्रासंगिक अनुच्छेद 812 इस प्रकार है:

“812. हमारा यह भी मत है कि यह 50% की सीमा केवल अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के पक्ष में किए गए आरक्षणों पर लागू होती है। इस संदर्भ में एक स्पष्टीकरण आवश्यक है: सभी आरक्षण समान प्रकृति के नहीं होते। सुविधा की दृष्टि से, आरक्षण दो प्रकार के माने जा सकते हैं — ‘ऊर्ध्वाधर आरक्षण’ और ‘क्षैतिज आरक्षण’। अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में दिए गए आरक्षण को ऊर्ध्वाधर आरक्षण कहा जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 16(1) के अंतर्गत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के पक्ष में जो आरक्षण होता है, वह क्षैतिज आरक्षण कहलाता है। क्षैतिज

¹1992 Supp. (3) SCC 217

आरक्षण, ऊर्ध्वाधर आरक्षणों को काटता है — जिसे "इंटरलॉकिंग आरक्षण" कहा जाता है। सटीक रूप से समझाया जाए तो, मान लीजिए कि 3% पद शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं; यह आरक्षण अनुच्छेद 16(1) से संबंधित होगा। इस कोटे के अंतर्गत चयनित व्यक्ति को उपयुक्त श्रेणी में समायोजित किया जाएगा; यदि वह अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित है, तो उसे उसी कोटे में आवश्यक समायोजन कर रखा जाएगा; इसी प्रकार, यदि वह खुली प्रतिस्पर्धा श्रेणी से है, तो उसे उसी श्रेणी में आवश्यक समायोजन कर समायोजित किया जाएगा। इन क्षैतिज आरक्षणों के लिए प्रावधान किए जाने के पश्चात भी, नागरिकों के पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण का प्रतिशत जैसा का तैसा बना रहता है — और बना रहना चाहिए। यही पद्धति कई राज्यों में अपनाई जाती है और इसे जारी रखने में कोई आपत्ति नहीं है।”

13. अतः इंदिरा साहनी निर्णय में किए गए उपरोक्त स्पष्टीकरण के आलोक में इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण अनुच्छेद 16(1) से संबंधित होगा। और इस कोटे के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को उपयुक्त श्रेणी में समायोजित किया जाएगा — अर्थात् यदि वह अनुसूचित श्रेणी से संबंधित है, तो उसे उसी श्रेणी में आवश्यक समायोजन कर रखा जाएगा; और यदि वह सामान्य (open) श्रेणी से है, तो आवश्यक समायोजन सामान्य श्रेणी में किया जाएगा।

14. समग्र आरक्षण तथा खंडित आरक्षण की अवधारणाओं को भी इस न्यायालय ने **अनिल कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य**² [अनु. संख्या 2] में उचित रूप से स्पष्ट किया है। उसमें यह अवलोकन किया गया कि यदि क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आरक्षित सीटों को सामाजिक (ऊर्ध्वाधर) आरक्षणों में अनुपातिक रूप से विभाजित किया गया हो और वे एक-दूसरे में स्थानांतरित नहीं हों, तो यह खंडित आरक्षण का मामला होगा; जबकि समग्र आरक्षण की स्थिति में, विशेष आरक्षण के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को उनके सामाजिक आरक्षण वर्ग में समायोजित करते समय, विशेष श्रेणी के लिए निर्धारित समग्र आरक्षण का सम्मान करना आवश्यक होगा। इसका तात्पर्य यह है कि, विशेष आरक्षण को सामाजिक (ऊर्ध्वाधर) आरक्षण श्रेणियों में अनुपातिक रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, और विशेष आरक्षण के पात्र अभ्यर्थियों को उनके लिए आरक्षित समग्र सीटें प्रदान की जानी चाहिए, चाहे वह सामाजिक/ऊर्ध्वाधर श्रेणियों के अंतर्गत समायोजित कर दी जाएं या अन्यथा, और इस प्रकार ये एक-दूसरे में स्थानांतरित की जा सकने वाली होती हैं।

15. जैसा कि स्वयं विज्ञापन से स्पष्ट है, महिलाओं (विधवा या तलाकशुदा) के लिए जो आरक्षण प्रदान किया गया था, वह खंडित क्षैतिज आरक्षण था, जबकि मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण समग्र क्षैतिज आरक्षण था। इसलिए, प्रतिवादियों ने प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम की अधिसूचना में सभी श्रेणियों के लिए

²(1995) 5 SCC 173

उचित रूप से कट-ऑफ अंक दर्शाए, सिवाय मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की श्रेणी के चूंकि मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को उसी श्रेणी में समायोजित किया जाना था जिसमें उन्होंने आवेदन किया था, अतः उन्हें उस श्रेणी के लिए निर्धारित न्यूनतम कट-ऑफ अंक प्राप्त करना आवश्यक था। इस प्रकार, अन्य श्रेणियों के लिए कट-ऑफ अंक निर्धारित करना तथा मानक दिव्यांगता वाली श्रेणी के लिए अलग से कट-ऑफ अंक निर्धारित न करना, न तो मनमाना कहा जा सकता है, और न ही यह अपीलकर्ताओं के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

16. जैसा कि सुदृढ़ विधिक सिद्धांत के रूप में स्थापित है, वे अभ्यर्थी जो पूरी समझ के साथ चयन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, वे उस प्रक्रिया को या विज्ञापन अथवा चयन की पद्धति को इस आधार पर प्रश्नांकित नहीं कर सकते, कि वे प्रारंभिक परीक्षा में असफल घोषित कर दिए गए हैं। जब अपीलकर्ताओं को यह ज्ञात हो गया कि प्रारंभिक परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की सूची में उनका नाम नहीं है, तो वे इस आधार पर परीक्षा परिणाम को चुनौती नहीं दे सकते थे कि प्रतिवादियों ने मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए कट-ऑफ अंक घोषित नहीं किए। जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया गया है, प्रतिवादियों ने केवल खंडित क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों के लिए ही कट-ऑफ अंक घोषित किए थे, न कि समग्र क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों (जैसे कि अपीलकर्ता) के लिए। अतः प्रतिवादियों की यह कार्यवाही न तो मनमानी कही जा सकती है, और न ही यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 16 या 21 का उल्लंघन मानी जा सकती है।

17. उपर्युक्त दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, हमें उच्च न्यायालय द्वारा पारित अपीलित निर्णयों एवं आदेशों में कोई भी विधिक त्रुटि अथवा दोष परिलक्षित नहीं होता। अतः दोनों अपीलें तदनुसार निरस्त की जाती हैं।

.....न्या° [बेला एम. त्रिवेदी]

.....न्या° [सतीश चन्द्र शर्मा]

नई दिल्ली;

21 अगस्त, 2024

Endnote

1. इंदिरासाहनीएवंअन्यबनामभारतसंघएवंअन्य, 1992 Supp. (3) SCC 217
2. अनिलकुमारगुप्ताबनामउत्तरप्रदेशराज्यएवंअन्य, (1995) 5 SCC 173

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dikshant Jain', with a horizontal line extending from the end of the signature.

(Dikshant Jain)